

संख्यापत्र-2
ई0मेल0/वैबसाईट
अति आवश्यक

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी डी0डी0ओ0, श्रम विभाग,
हरियाणा सरकार।

क्रमांक:- स्था0/03/2022/18269-320 दिनांक:- 29/06/22

विषय:- दिनांक 26.05.2022 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक स्था0/03/2022/17397-449 दिनांक 08.06.2022 (प्रति सलंगन) व स्था0/03/2022/18863-115 दिनांक 20.06.2022 (प्रति सलंगन) की निरन्तरता में।

विषयोक्त मामले में आपको सादर सूचित किया जाता है कि Skill Development & Industrial Training Department, Haryana, Kaushal Bhawan, Plot No.IP-2, Sector-3, Majri Chowk, Panchkula, Haryana से पत्र क्रमांक TA/NAPS/Govt.Nodel officers/Review/324 dated 08-06-2022 प्राप्त हुआ है (प्रति सलंगन) जिसमें उन द्वारा विभाग से प्रशिक्षु लगाने सम्बन्धित रिपोर्ट दिनांक 30.06.2022 तक मांगी गई हैं।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक स्था0/03/2022/17397-449 दिनांक 08.06.2022 अनुसार अपने कार्यालय में कुल पदों का 10 प्रतिशत प्रशिक्षुओं लगाने बारे कार्यवाही करें व इस बाबत अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.06.2022 के 11:00 बजे तक मुख्यालय की ई0मेल0 (establishment456@gmail.com) पर भिजवानी सुनिश्चित करें। जिन कार्यालयों की रिपोर्ट मुख्यालय पर प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत हैं।

सलंगन/उपरोक्त

Ejda Ram
उप अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।
Rs

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी डी0डी0ओ0, हरियाणा सरकार
श्रम विभाग (प्रति सलंगन)

क्रमांक:- स्था0/03/2022/17397-449 दिनांक:- 8/6/22

विषय:-

Engagement of trade Apprentices under Apprenticeship Act, 1961. First Round Schedule for engaging designed trade apprentices in year 2022.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सादर सूचित किया जाता है कि दिनांक 26.05.2022 को प्रातः 11:00 बजे कौशल भवन, प्लॉट नं0 आई0पी0-2/माजरी चौक सैक्टर-3 पंचकूला में Skill Development & Industrial Training Department Haryana की ओर से Apprenticeship से सम्बन्धित बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें यह निर्देश दिये गये कि सभी विभाग भरे हुए पदों (मुख्यालय व क्षेत्रिय कार्यालय) का 10 प्रतिशत अनुसार प्रशिक्षु नियुक्ति करेंगे, यदि कोई विभाग इस कार्य में रुचि नहीं लेते हैं तो उन विभागों पर प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 में किये गये प्रावधान व राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों अनुसार जुर्माना लगाने बारे कार्यवाही अमल में ला दी जायेगी। इसके अतिरिक्त बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि विषयोक्त मामले में आगामी बैठक माह जुलाई 2022 के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जायेगी, जिसमें विभाग द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा की जायेगी और प्रत्येक डी0डी0ओ0 अपने कार्य की त्रिमासी रिपोर्ट भी भिजवानी सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने कार्यालय में भरे हुए पदों का 10 प्रतिशत के हिसाब से अपनी मांग आई0टी0आई0 पोर्टल पर दर्ज करें। यदि प्रशिक्षु पोर्टल पर आवेदन नहीं करते हैं तो मामले में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अपने जिले के नजदीकी आई0टी0आई0 केन्द्र के प्रधानाचार्य से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्रशिक्षु का पंजीकरण करवाने बारे अनुरोध करें।

यह आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू सादर प्रस्तुत है।

सलंगन/उपरोक्त

Lijia Ran
उप अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

ई0मेल0/वैबसाईट
अति आवश्यक

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ।

सेवा में

सभी डी0डी0ओ0, श्रम विभाग,
हरियाणा सरकार।

क्रमांक:- स्था0/03/2022/18863-915 दिनांक:- 20/06/2022

विषय:- दिनांक 26.05.2022 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्याल के पत्र क्रमांक स्था0/03/2022/17397-449 दिनांक 08.06.2022 (प्रति सलंगन) की निरन्तरता में।

विषयोक्त मामले में आपको सादर सूचित किया जाता है कि Skill Development & Industrial Training Department, Haryana, Kaushal Bhawan, Plot No.IP-2, Sector-3, Majri Chowk, Panchkula, Haryana से पत्र क्रमांक TA/NAPS/Govt.Nodel officers/Review/324 dated 08-06-2022 प्राप्त हुआ है (प्रति सलंगन) जिसमे उन द्वारा विभाग से प्रशिक्षु लगाने सम्बन्धित रिपोर्ट दिनांक 30.06.2022 तक मांगी गई हैं।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक स्था0/03/2022/17397-449 दिनांक 08.06.2022 अनुसार अपने कार्यालय मे कुल पदों का 10 प्रतिशत प्रशिक्षुओं लगाने बारे कार्यवाही करें व इस बाबत अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.06.2022 तक मुख्यालय की ई0मेल0 (establishment456@gmail.com) पर भिजवानी सुनिश्चित करें।

यह आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू सादर प्रस्तुत हैं।

सलंगन/उपरोक्त

Lida Pun
उप अधीक्षक (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

Issued through e-mail Only

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा राज्य में
2. सभी मंडल आयुक्त, प्रशासनिक मंडल, हरियाणा राज्य में
3. सभी प्रबंध निदेशक / मुख्य प्रशासक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड / नियम / एजेसीज / परिषद एवं SPSUs, हरियाणा राज्य में
4. सभी जिला उपायुक्त, हरियाणा राज्य में
5. सभी रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य में


क्रमांक: TA/NAPS/Govt. Nodal officers/Review/334-
दिनांक: 08-06-22

विषय:- दिनांक 26.05.2022 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय बारे।

उपरोक्त विषय पर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक TA/NAPS/Govt. Nodal officers/ Review /265 दिनांक 16.05.2022 के संदर्भ में।

महानिदेशक, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.05.2022 को अप्रेंटिसशिप बारे हुई बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श अनुसार आपको निम्न अनुसार निर्देश दिए जाते हैं:-

1. शिक्षुता अधिनियम के तहत आप अपने विभाग में नियुक्त कुल कार्यवाहियों की संख्या का 2.5%-10% तक शिक्षु लगाना सुनिश्चित करें।
2. दिनांक 30.6.2022 जून तक लक्ष्य को पूरा करते हुए 2 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट sdit.apprenticeship@gmail.com पर भेजें। यदि आप द्वारा इस समय अवधि में लक्ष्य पूरा नहीं किया गया तो नियमानुसार आयाती कार्यवाही कर ली जाएगी।
3. आप अपने अधीनस्थ उपकार्यालयों की प्रति माह बैठक करते हुए उनके द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की रिपोर्ट प्राप्त करें।


उप-निदेशक शिक्षुता
कक्ष, महानिदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक
प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, पंचकुला।